उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-53/1096/एक-1-2016-5(12)/2016

लखनऊ: दिनॉक: 17 अगस्त, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 231 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनॉक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनॉक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए रेलवे विभाग, भारत सरकार को डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नितर्वन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौतमबुद्वनगर	दादरी	दादरी	पाली	615	0.0070	लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए भारत सरकार को डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजना हेतु।
2					618	0.0100	
3					626	0.0100	
4					644	0.0100	
5					689	0.0050	
6					692	0.0050	
7					701	0.0320	
8					702	0.0160	
9					711	0.0110	
10					714	0.0155	
11					717	0.0370	
12					719	0.0066	

shasnadesh.up.nic.in

13					720	0.0138	
14					725	0.0350	
15					726	0.0175	
16					728	0.0069	
17					738	0.1750	
18					739	0.0510	
19					771	0.0145	
20					779	0.0370	
21					883	0.0180	
22					888	0.0160	
23		दनकौर	सदर	गुलावली	300	0.1260	
24					306	0.1260	
25					312 मि0	0.0380	
26					318 मि0	0.0380	
27					320	0.2856	
28					321	0.9944	
29					325	0.1358	
30					326	0.0288	
31					328मि0	0.2880	
32					329मि0	0.0023	
33					331	0.3540	
34					333	0.0600	
35					334	0.3622	
36					335	0.5462	
37					336	0.3040	
38					348मि0	0.4800	
39					349मि0	0.1931	
40					356मि0	0.0510	
41					356मि0	0.5190	
42					357मि0	0.2780	
43					357मि0	0.1900	

shasnadesh.up.nic.in

44					359	0.4414	
45					362	0.2150	
46					358मि0	0.5284	
47					358मि0	0.0754	
48					363मि0	0.0290	
49					364	0.2540	
50					370	0.0030	
51					408मि0	0.0575	
52					799	0.0056	
53					803	0.0348	
54					845	0.0720	
55					849	0.0113	
56					858	0.0113	
57					961	0.0225	
58					970	0.0225	
59					971	0.0113	
60					988	0.0130	
61					992	0.0210	
62					1110मि0	0.0156	
63					1135	0.0540	
64					1136	0.2578	
65					1163मि0	0.0061	
66					1165मि0	0.3530	
67					1184मि0	0.0202	
68					1185मि0	0.0662	
69					1186मि0	0.0211	
70		सदर	सिकन्द्राबाद	चिरसी	121	0.2660	
71			सदर	रघुनाथपुर	166	0.3320	
72					202	0.2240	
73					172	0.0024	

shasnadesh.up.nic.in

74					168	0.0024	
75					167	0.0012	
76					212	0.0080	
77					219	0.0160	
78					225	0.0144	
79					238	0.0144	
80		दादरी	दादरी	पल्ला	721	0.0256	
81					727	0.0136	
82					726	0.0160	
83					725	0.0320	
84					715	0.0160	
85					714	0.0320	
86					707	0.0180	
87					706	0.0240	
88					709	0.0016	
89					699	0.0080	
90					698	0.0174	
91					695	0.0090	
92					690	0.0384	
93					662	0.0090	
94		सदर	दादरी	गुलिस्तानपुर	196	0.0335	
95					197	0.0670	
96					226	0.0340	
97					243	0.0130	
98					247	0.0280	
99					248	0.0140	
100					276	0.0230	
101					277	0.0040	
102					523	0.0180	
103					656	0.0170	

shasnadesh.up.nic.in

104					657	0.0118	
105					658	0.0375	
106					669	0.0348	
107					670	0.0170	
108					706	0.0864	
109					723	0.0185	
110					724	0.0370	
111					726	0.0310	
112					735	0.0200	
113					736	0.0100	
114		सदर	दनकौर	नामौली	5	0.0910	
115					9	0.0070	
116					26	0.0170	
117					27	0.0085	
118					75	0.0180	
119					103	0.0060	
120					114	0.0090	
121					126	0.0130	
122					127	0.0065	
123					182	0.0290	
124				बांदौली बांगर	1	0.0904	
125					16	0.0160	
126					19	0.0075	
127					21	0.0150	
128					26	0.0075	
129					28	0.0033	
130					37	0.0975	
131					51	0.0288	
132				झट्टा	188	0.2058	
133				गूजरपुर	99	0.0784	

shasnadesh.up.nic.in

134					118	0.0145	
135					119	0.0290	
136					127	0.0060	
137					128	0.0120	
138					134	0.0165	
139					135	0.0083	
140					171	0.0150	
141					172	0.0075	
142					177	0.0440	
143		दादरी	दादरी	घोड़ी बछेड़ा	582	0.0060	
144					581	0.0120	
145					574	0.0128	
146					572	0.0110	
147					546	0.0492	
148					498	0.0048	
149					478	0.0040	
150		सदर		साकीपुर	40	0.0135	
151					41	0.0270	
152					50	0.0109	
153					79	0.0130	
154					80	0.0260	
155					85	0.0105	
156					95	0.0090	
157					96	0.0090	
158					97	0.0160	
159					250	0.0480	
160					256	0.0115	
161					257	0.0052	
162					264	0.0048	
163					265	0.0110	

shasnadesh.up.nic.in

164					273	0.0300	
165					275	0.0115	
166					276	0.0230	
167		सदर	दनकौर	मकौड़ा	3	0.0272	
168					4	0.0100	
169					6	0.0608	
170					8	0.0125	
171					21	0.0052	
172					22	0.0015	
173					23	0.0025	
174					178	0.0310	
175					189	0.0045	
176					191	0.0096	
177					192	0.0320	
178					193	0.0160	
179					196	0.0072	
180					200	0.0090	
181		सदर	दनकौर	झट्टा	8	0.0510	
182					9	0.0210	
183					16	0.0612	
184					18	0.0570	
185					25	0.0302	
186					26	0.0595	
187					31	0.0750	
188					41	0.1060	
189					46	0.0060	
190					47	0.0420	
191					51	0.0035	
192					59	0.0180	
193					65	0.0015	

shasnadesh.up.nic.in

194					91	0.0205	
195					172	0.0115	
196					175	0.0230	
197					187	0.0048	
198					189	0.1150	
199					193	0.0090	
				योग	**कुल 199 गाटा**	**12.5025 हे0**	

2. इस आदेश की प्रतियॉं कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पाहोने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा लोक निर्माण विभाग,उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 के अनुसार डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजना हेतु पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूॅजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूॅजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉं-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉं" के नाम जमा कराया जायेगा।

4. डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजना के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-रास्ता, चकमार्ग, चकरोड, सेक्टर मार्ग, सडक खाम, मैनरोड, मुख्यमार्ग, नहरगंग व नालीकी भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि रेलवे विभाग, भारत सरकारद्वारा चकमार्ग, चकरोड, सेक्टर मार्ग, सडक खाम, मैनरोड, मुख्यमार्ग व रास्ता की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ग्रामवासियों का आवागमन बाधित नहीं करेंगे तथानहरगंग व नाली के माध्यम से हो रहे सिंचाई की सुविधा तथा पानी के नैसर्गिक बहाव को भी अवरूद्व नहीं करेंगे।

5. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0-4787/2001 हिन्च लाल तिवारी बनाम

shashadesh.up.nic.in

कमला देवी आदि में पारित आदेश दिनॉक 25-07-2001 में तालाब, पोखरों एवं जलाशयों तथा अन्य जल प्रणालियों के वर्तमान स्वरूप को अपरिवर्तित बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं, अर्थात् उनके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन न किया जाये। डेडीकेटेड फ्रेंट कॉरीडोर रेलवे परियोजना, भारत सरकार के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए यमुना नदी, दरियाबुर्द, नदी, पोखर की भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान किया जा रहा है कि रेलवे विभाग, भारत सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरूप यमुना नदी, दरियाबुर्द, नदी, पोखर आदि के प्राकृतिक स्वरूप को परिवर्तित नहीं करेंगे बल्कि पूर्व की भॉति यमुना नदी, दरियाबुर्द, नदी, पोखर का स्वरूप एवं जल संचयन की क्षमता बनाये रखेंगे और उसे अपने व्यय पर खुदाई कराकर और गहरा करायेंगे। रेलवे विभाग, भारत सरकारयमुना नदी, दरियाबुर्द, नदी, पोखर पर डेन/पुल/पुलिया का निर्माण कराते हुए नैसर्गिक जल प्रवाह एवं प्राकृतिक स्वरूप को यथावत बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

6. सुरक्षित श्रेणी की भूमि यथा-कब्रिस्तान की भूमि, का पुनर्ग्रहण यदि आवश्यक हो तो उक्त हेतु वैकल्पिक व्यवस्था कराने के उपरान्त किया जा सकेगा। लोक निर्माण विभाग तथा जिलाधिकारी द्वारा कब्रिस्तान की भूमि के हस्तान्तरण से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त के भूमि के पुनर्ग्रहण से किसी धार्मिक उत्तेजना की आशंका न हो। यदि हॉ, तो भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 तथा शासनादेशों के आलोक में डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजनाहेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित कुल 199 गाटा रकबा 12.5025 हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण रेलवे विभाग, भारत सरकारहेतु किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

8. कलेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 व शासनादेश संख्या-745/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

संख्या-1096(1)/एक-1-2016-5(12)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर ।
4. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को उनके पत्र संख्या-505, 744, 524, 745, 2076,421, 136, 141, 523, 36, 138, 671, 137 , 140, 35/डीएलआरसी/2015-16, क्रमश: दिनॉक 17.10.2015, 15.02.2016, 29.10.2015, 15.02.2016, 09.10.2014, 22.09.2015, 01.07.2015, 01.01.2015, 29.10.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 14.01.2015, 01.07.2015, 01.07.2015, 01.06.2015 एवं पत्र संख्या-522/डीएफसीसी-लिपिक/2016, दिनॉक 20.04.2016 के सन्दर्भ में।
5. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया 117/एच-2 राधा भवन, पाण्डु नगर, कानपुर।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in